

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (गुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ.3(1)साप्र/2/2012

जयपुर, दिनांक 30 MAY 2012

आदेश :-

इस विभाग के आदेश दिनांक 14.5.2012 के द्वारा निम्नांकित अधिकारियों को उनकी तृतीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित आवंटित किये गये राजकीय आवासों का कब्जा नहीं लेने के इच्छुक होने के कारण आवंटन आदेश एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं:-

क्र.सं.	वरियता सं.	नाम व पद	आवंटित आवास	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	43/08	श्री राजेन्द्र प्रसाद रावत कनिष्ठ लेखाकार, वित्त (राजस्व) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	डब्ल्यू-ब्लॉक एमआरईसी केम्पस गांधीनगर, जयपुर	31.8.2023
2.	7/2011	श्री समकल्याण गुर्जर कनिष्ठ लेखाकार आयोग उद्योग विभाग, जयपुर	ए-13, जवाहरनगर, जयपुर	30.11.2026
3.	2/2012	श्रीमती यामिनी कौशिक व्याख्याता (गृह विज्ञान) राजकीय महाराजा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, छोटी चौपड, जयपुर	15/16, मालवीयनगर, जयपुर	31.5.2023
4.	31/2012	श्री सुरेन्द्र सिंह राजपुरोहित राजस्थान लेखा सेवा, प्रशिक्षु हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर	जीए/गा/टी-2/ 27 विद्याधरनगर, जयपुर	31.1.2030

01c(110b.)
A
5-6-2012

2012
6/6/12
Sm(MR)


राज्यपाल की आज्ञा से

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संगीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय जयपुर।
5. कोषाधिकारी कोष कार्यालय शासन सचिवालय/जयपुर शहर जयपुर।
6. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
7. आयुक्त, उद्योग विभाग, उद्योग भवन, जयपुर।
8. प्रधानाचार्य, राजकीय महाराजा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, छोटी चौपड, जयपुर।
9. निदेशक, हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
10. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असाफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावें।
11. अधिष्ठापी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि0वि0निगम लि0 गांधीनगर/जवाहरनगर/मालवीयनगर/विद्याधरनगर, जयपुर।
12. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करायें।
13. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गाँधीनगर जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड में चस्पा करायें।
14. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, पुलिस अकादमी परिसर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड में चस्पा करायें।

15. श्रीमती यामिनी कौशिक, व्याख्याता (गृह विज्ञान) राजकीय महाराजा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, छोटी चौपड़, जयपुर को भेजकर लेख है कि आवंटन आदेश निरस्त होने की तिथि से नियम 11(III)ए के तहत छः माह पश्चात् गांधीनगर हेतु विचारणीय होगा।
16. श्री रामकल्याण गुर्जर, कनिष्ठ लेखाकार, आयोग उद्योग विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि आवंटन आदेश निरस्त होने की तिथि से नियम 11(III)ए के तहत छः माह पश्चात् जवाहर नगर हेतु विचारणीय होगा।
17. श्री राजेन्द्र प्रसाद रावत, कनिष्ठ लेखाकार, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि आवंटन आदेश निरस्त होने की तिथि से नियम 11(III)ए के तहत छः माह पश्चात् बहुमंजिला आवास गांधीनगर हेतु विचारणीय होगा।
18. संबंधित अधिकारीगण।
19. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
20. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
21. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
22. निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
23. रक्षित पत्रावली।


(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव